उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-16/429 ई-2/तेरह-2017-19/2010
लखनऊ::दिनांक 12 मई,2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप/विज्ञप्ति</u>

उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति के गठन विषयक विज्ञप्ति संख्या-44/2057 ई-2/तेरह-2014-19/2010, दि0 26-12-2014 को अवक्रमित करते हुये, उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति नियमावली,1965(यथा संशोधित) के नियम-3, 5 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-24 सन् 1964) की धारा-3 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, शीरे के संग्रहण, सम्भरण (आपूर्ति) तथा श्रेणीकरण से सम्बद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिये इस कार्यालय ज्ञाप के प्रकाशित होने के दिनांक से, एक परामर्श समिति संगठित करते हैं। उक्त समिति में निम्नांकित व्यक्ति होंगे:-

1-	शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश	(पदेन अध्यक्ष)
2-	मुख्यालय पर नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जिनके द्वारा शीरा सम्बन्धी कार्य देखा जा रहा हो।	(पदेन सचिव)
3-	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप निदेशक, उद्योग के पद से न्यून स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
4-	गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश उसका प्रतिनिधि जो गन्ना उप आयुक्त पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
5-	उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ का एक प्रतिनिधि।	श्री दीपक गुप्तारा, सचिव, यू0पी0 शुगर मिल्स एसोसियेशन, 403, चिंटल हाउस, 16 स्टेशन रोड, लखनऊ-226001
6-	उत्तर प्रदेश आसवक संघ का एक प्रतिनिधि।	श्री के0पी0 सिंह, निदेशक, रेडिको खेतान लि0, बरेली रोड, रामपुर।
7-	उत्तर प्रदेश अल्कोहल बेस्ड इण्डट्रीज डेवलपमेन्ट एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि।	श्री अनिल मलिक, जनरल सेक्रेटरी, यू0पी0 आबिदा, फ्लैट नं0-डब्लू0डब्लू0-1, रोहताश गौल्फलिंक अपार्टमेन्ट, 98, पार्क रोड, लखनऊ-226001
8-	उत्तर प्रदेश गढाई (मोल्डिंग), ढलाई(फाउण्ड्री) उद्योग, यीस्ट, तम्बाकू तथा पशु आहार निर्माताओं का एक प्रतिनिधि।	श्री प्रमोद कोठारी, कोठारी फरमेन्टेशन एण्ड बायोकेम लि0, बुलन्दशहर।

9-	प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 अथवा उसका प्रतिनिधि जो सलाहकार पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
10-	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप प्रबन्ध निदेशक पद से निम्न स्तर का न हो।	पदेन सदस्य

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-16/429(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, उत्तर प्रदेश।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, उत्तर प्रदेश।
(8) उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ/उत्तर प्रदेश आसवक संघ/उत्तर प्रदेश अल्कोहल बेस्ड इण्डस्ट्री डेवलपमेन्ट एसोसियेशन/उत्तर प्रदेश में गढाई(मोल्डिंग), ढलाई (फाउण्ड्री) उद्योग यीस्ट, तम्बाकू तथा पशु आहार संघ के प्रतिनिधिगण।
(9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को राज्य सरकार के आगामी साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में शीघ्र प्रकाशन कराकर 100 प्रतियां उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित।
(10) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।